मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वल्लभ भवन भोपाल

कमांक/ 1001/982/2022/स्वा.क./मेडि-2 **भोपाल, दिनांक** 24/06/**2022**

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।**
2. **समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।**
3. **समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त अधीक्षक, गैस राहत चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।**
5. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।**
6. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।**
7. **समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल मध्यप्रदेश।**
8. **समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।**

विषय :— मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ :—1. मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक—645/1720/2018/17/मेडि—2 भोपाल दिनांक 24.05.2018।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम/2020/6151 भोपाल दिनांक 19.11.2020।

*****

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2018 से मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का संचालन श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों हेतु प्रारंभ किया गया है। योजना संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संदर्भित पत्रो के माध्यम से प्रदान किए गए थे।

वर्तमान योजनान्तर्गत गर्भावस्था की 4 जॉच निर्धारित अवधि में कराए जाने के उपरान्त प्रथम किश्त की राशि प्रदान की जाती है जिसे परिवर्तित करते हुए संशोधित योजनान्तर्गत प्रथम किश्त, गर्भधारण का पंजीयन गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में एन.एन.एम. के माध्यम से अथवा शासकीय स्वास्थ्य संस्था से कराए जाने पर प्रदान किया जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाए गर्भधारण का शीघ्र पंजीयन कराए जाने हेतु प्रोत्साहित हो सकेगी, उन्हे पोषण आहार हेतु तत्काल राशि प्राप्त हो सकेगी, उन्हें निर्धारित 4 प्रसव पूर्व सेवाओं का लाभ देने में सहायता होगी एवं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन कराने में आसानी होगी।

संशोधित योजनान्तर्गत श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत पात्र हितग्राही को द्वितिय किश्त का भुगतान अब आयुष्मान भारत "निरामयम" योजनान्तर्गत गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी हाई रिस्क पैकेज हेतु प्रदेश के चिन्हित जिलों के अधिकृत अशासकीय चिकित्सालय में भी प्रसव होने की स्थिति परं भी प्रदान किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता शर्तो में आंशिक संशोधन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है —

क्र.	किश्त	शर्ते	राशि (रू.)	राशि जमा किए जाने का दायित्व
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था का पंजीयन प्रथम त्रैमास में करवाए जाने पर	**4000/—**	प्रथम गर्भावस्था वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना अंतर्गत योजना का शर्तो अनुसार राशि रूपये 3000/— महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एवं प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत रूपये 1000/— की राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। द्वितीय गर्भावस्था वाली महिला को प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत राशि रूपये 4000/— स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रथम त्रैमास में अपरिहार्य कारणवश पंजीयन न होने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी या अन्य पदविहीत अधिकारी इस अवधि में एक माह की वृद्धि कर सकेंगे।
2	द्वितिय किश्त	•शासकीय चिकित्सालय अथवा आयुष्मान भारत " निरामय" कार्यक्रम अंतर्गत गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी हाई रिस्क पैकेज हेतु प्रदेश के चिन्हित जिलों के अधिकृत अशासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा •नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने तथा •शिशु को शीघ्र स्तनपान कराने पर व •शिशु को 0 डोज BCG,OPV व Hep B टीकाकरण कराने पर	**12000/—**	ग्रामीण क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत रूपये 1400/— प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत रूपये 10600/— की राशि प्रदान की जायेगी एवं शहरी क्षेत्र की महिला जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत रूपये 1000/—, प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत रूपये 11000/— की राशि प्रदान की जायेगी। यदि स्वास्थ्य कारणों से नवजात शिशु को शीघ्र स्तनपान कराया जाना अथवा 0 डोज, BCG, OPV व Hep B का टीकाकरण संभव न हो उस स्थिति में भी महिला द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।
	कुल राशि		**16000/—**	

नोट :— उक्त के अतिरिक्त हितग्राही की पात्रता से संबंधित समस्त शर्ते संदर्भित पत्रों में उल्लेख अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त शर्तो के आधार पर जिन हितग्राहियों का गर्भावस्था का पंजीयन अनमोल/आर.सी.एच. पोर्टल में ए.एन.एम. अथवा शासकीय स्वास्थ्य संस्था द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2022 को अथवा उसके पश्चात होता है तो उन हितग्राहियों को उपरोक्त तालिकानुसार लाभ प्रदान किया जायेगा। 1 जुलाई 2022 के पूर्व गर्भावस्था का पंजीयन कराने वाली महिलाओं को उपरोक्त संदर्भित पत्रो में उल्लेख अनुसार पूर्व शर्तानुसार ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
भोपाल, दिनांक 24 / 6 /2022

पृ. कमांक/1002/902/2022/17/MH-2,

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (प्रशासन) 3142
दिनांक 28/06/22

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. निज सचिव, माननीय स्वास्थ्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन।
3. निज सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन।
4. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7. अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
9. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. शासन।
10. आयुक्त, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन। (वेबसाईट में अपलोड करें।
11. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन।
12. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
13. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल।
15. संचालक, वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
16. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
17. समस्त उपसंचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी –1 मध्यप्रदेश।
19. समस्त संभागीय आर.एम.एन.सी.एच. समन्वयक, मध्यप्रदेश।
20. समस्त जिला कार्यकम प्रबंधक मध्यप्रदेश।
21. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
22. समस्त जिला एम.एण्ड.ई. मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

DHS IT